डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 खूबीराम बनाम शशिकांत वगै0

मुकदमा नंबर 20/2021 दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह —————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.7.25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 23/7/25

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत					
गहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय हुक्म नामा			बवत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. खूबीराम पुत्र पन्ना जाति जाटव निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला

बनाम

1. शशिकांत दत्तक पुत्र ओंकार जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील जिला भरतपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए प्रबंधक शाखा नदबई।
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

23/7/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 20/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/31
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.07.2025

1. खूबीराम पुत्र पन्ना जाति जाटव निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. शशिकांत दत्तक पुत्र ओंकार जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए प्रबंधक शाखा नदबई।
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेश सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री लक्ष्मण सिंह एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है।
2. यह कि खाता संख्या 866 के आराजी खसरा नंबर 3095 रकबा 0.51 हैक्ट वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है। जो कि संवत 2060 के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर साबिक खसरा नंबर 2868 रकबा 2 बीघा से बना है। तथा साबिक खसरा नंबर 2868 संवत 2028 के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर साबिक खसरा नंबर 1943 मिन रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा से बना है। हाल जमाबंदी स साबिक रिकॉर्ड दावा के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी है जो वादी के पिता मृतक पन्ना पुत्र नंगा जाति जाटव निवासी खांगरी तहसील नदबई की खुदकाश्त की आराजी है जो मिसिल बंदोबस्त संवत 2028 में वादी के पिता मृतक पन्ना वल्द नंगा के नाम दर्ज है लेकिन सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने जमाबंदी में वादी के पिता की ज[illegible]को बदलकर जाट दर्ज कर दी और उसके ब[illegible]060 में सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा [illegible] वादी के पिता मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

23/7/25

Scanned with OKEN Scanner

पन्ना के खातेदारी इन्द्राज को प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता ओंकार पुत्र रघुनाथ कौम ब्राह्मण साकिन खांगरी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ओंकार की मृत्यु होने के बाद विरासत के आधार पर गलत खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गए हैं तथा इसी गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 के यहां से रकवा को रहन कर किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर ऋण प्राप्त कर लिया है। उक्त खातेदारी इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वोगस है जिन्हें वादी साबिक रिकॉर्ड के आधार पर कलमजन करवा कर अपने नाम खातेदारी इन्द्राज प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि सैटलमेंट विभाग को कानूनन खातेदारी इन्द्राज बदलने के अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी जाति से जाटव है व प्रतिवादी संख्या 1 जाति से ब्राह्मण है ऐसी स्थिति में किसी भी आधार पर वादी की पुश्तैनी कृषि आराजी के खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी के नाम है उसके नाम दर्ज नहीं किए जा सकते।

4. यह कि दिनांक 20.12.2020 को वादी अपने खेत में पानी देने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर पहुंच कर वादी को खुलेआम धमकी दी है कि इस खेत की खातेदारी इन्द्राज उसके नाम है और अब वह स्वयं इस रकबा में सिंचाई कर फसल काटेगा। वादी को काश्त नहीं करने देगा तथा हाल जमाबंदी इन्द्राज का फायदा उठाते हुए विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर वादी को उसके हक से महरूम कर देगा। अगर प्रतिवादी उक्त दी धमकी में कामयाब हो गया तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी को ताफैसला वाद रहनवयमुन्तकिल नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

5. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी पर सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक [illegible] ओं[illegible] को ट्रांसफर होने के बाद विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वोगस खातेदारी इन्द्राजों को कलमजन किया जाकर साबिक रिकॉर्ड के आधार पर वादी को खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

23/7/25

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 ने बोगस खातेदारी इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 के यहां रकबा रहन कर जरिए किसान क्रेडिट कार्ड जो ऋण प्राप्त किया है उसे प्रतिवादी संख्या 1 को भुगतान करने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी को ताफैसला वाद रहनवयमुन्तकिल नहीं करें व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 कानूनी है। परन्तु वादपत्र वादी पर रैसज्यूडिकेटा आरिज है।
2. यह कि मद संख्या 1 रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है।
3. यह है कि मद संख्या 3 वाद पत्र में वादी ने जिस प्रकार वर्णित कि है स्वीकार नही है। विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र पर वादी के पिता मृतक पन्ना पुत्र नंगां जाति जाटव निवासी खांगरी के खुदकाश्त में कभी नहीं रही जबकि प्रतिवादी के दत्तक पिता ओंकार पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व से ही काबिज काश्तकार के रूप में चला आ रहा था। सैटलमेंट संवत 2060 के कार्मिकों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी नहीं दी। न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 10.01.1980 से प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता के नाम विवादित आराजी पर खातेदारी काश्तकारी आई है। तथा जमाबंदी संवत 2035–38 वाके खांगरी पर इंतकाल नंबर 186 से खातेदारी आई है। प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता के मरणोपरांत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सही व विधिवत तरीके से विरासत की खातेदारी आई है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के यहां सही व वैध तरीके से विवादित आराजी को रहन रखकर केसीसी बनवा रखी है। न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 10.01.1980 से विवादित आराजी पर खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

23/7/25

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी प्राप्त हुई है तथा वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील दिनांक 20.04.1981 को अपीलांट द्वारा न चलाए जाने के आधार पर खारिज हो चुकी है। इस तरह वादी द्वारा पेश किए गए दावा पर रेसज्युडिकेटा आरिज है तथा रेसज्यूडिकेटा आरिज होने से वाद वादी काबिल खारिजी के है।

4. यह कि वादपत्र के अन्य मद भी गलत होने के कारण अस्वीकार है। अतः दावा वादी काबिल खारिजी के है। वादी ना तो खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम खांगरी प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके खांगरी प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 3, नकल मिसिल बंदोबस्त संवत 2028 प्रदर्श 4, नकल मिसिल बंदोबस्त संवत 2060 प्रदर्श 5 वाके ग्राम खांगरी, नकल जमाबंदी संवत 2011–14 वाके ग्राम खांगरी प्रदर्श 6 पेश किए गए। मौखिक बयान के रूप में वादी खूबीराम पुत्र पन्ना जाति जाटव निवासी खांगरी के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका उनवानी प्रकरण ओंकार बनाम पन्ना वगै0 प्रदर्श डी 1, प्रमाणित प्रतिलिपि अपील आदेश न्यायालय श्रीमान आरएए भरतपुर प्रदर्श डी 2, सत्यप्रतिलिपि पट्टा प्रदर्श डी 3, सत्यप्रतिलिपि डिक्री दिनांक 21.04.81 न्यायालय श्रीमान आरएए भरतपुर प्रदर्श डी 4, सत्यप्रतिलिपि दावा उनवानी औंकार बनाम पन्ना वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर प्रदर्श डी 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जबाव दावा उनवानी औंकार बनाम पन्ना वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर प्रदर्श डी 7, निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर दिनांक 10.01.80 प्रदर्श डी 8, 9, नकल जमाबंदी संवत 2035–38 वाके खागरी प्रदर्श डी 10, नकल नामान्तकरण संख्या 186 वाके ग्राम खांगरी प्रदर्श डी 11, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके खागरी प्रदर्श डी 12, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके खांगरी प्रदर्श डी 13 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में [illegible] पुत्र औंकार जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी, देवकीनंदन [illegible] जाति ब्राह्मण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

23/7/25

Scanned with OKEN Scanner

निवासी खांगरी के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता के दौरान बहस कथन रहे कि विवादित आराजी वादी के पिता पन्ना पुत्र नंगा की खातेदारी की आराजी थी। संवत 2028 की भूप्रबंध विभाग की जमाबंदी में वादी के पिता की जाति चमार के स्थान पर जाट दर्ज कर दी गई तथा संवत 2060 में प्रतिवादी के दत्तक पिता औंकार के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। संवत 2028 से पूर्व उक्त विवादित आराजी पर वादी के पिता की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जो कि सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती है। अतः दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता के कब्जेकाश्त में संवत 2012 से ही रही है। परन्तु प्रतिवादी के दत्तक पिता के नाम खातेदारी के इन्द्राज नहीं थे। प्रतिवादी के दत्तक पिता औंकार ने एक दावा 510/1977 न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर में पेश किया जिसका जबाव दावा भी वादी द्वारा पेश किया गया जो कि प्रदर्श डी 6 व डी 7 से स्पष्ट हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.01.80 के अनुसार औंकार को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। प्रदर्श डी 4 दिनांक 20.04.81 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने वादी की अपील खारिज कर दी। डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर दिनांक 10.01.80 प्रदर्श डी 9 अनुसार एवं इंतकाल डिक्री प्रदर्श डी 11 द्वारा नामान्तकरण वादी के पिता के नाम कर दिया गया। उक्त साक्ष्यों के आधार पर अपील वादी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज कर दी। गवाहों ने भी उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा बताया है। दावा वादी पर रेसज्यूडिकेटा लागू होता है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

हमने उभपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 3095 रकबा 0.51 हैक्ट0 वाके ग्राम खांगरी तहसील [illegible] में स्थित है। जो कि साबिक खसरा नंबर 2868 से निर्मित है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

23/7/25

Scanned with OKEN Scanner

साबिक खसरा नंबर 1943 वाके ग्राम खांगरी से निर्मित है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 10.01.80 न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर प्रदर्श डी 8 एवं प्रतिलिपि पट्टा संवत 2007 प्रदर्श डी 3 के अनुसार उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 1943 हाल खसरा नंबर 3095 वाके खांगरी यादराम पुत्र कडेरू के कब्जे का रकबा था। उसको संवत 2007 से पहले ही प्रताप पुत्र घण्टोली को सामलात थोक के हिसाब से सिलसिले कर दिया था तदुपरान्त प्रताप ने संवत 2007 में ही उस खेत का पट्टा उसके सामने ही प्रतिवादी के दत्तक पिता औंकार को कर दिया था तत्समय ही औंकार को विवादित आराजी का कब्जा भी मिल गया। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के दत्तक पिता औंकार का नाम दर्ज नहीं हो सका। जिस पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर ने विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी के दत्तक पिता औंकार पुत्र रघुनाथ को उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 3095 वाके ग्राम खांगरी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा भी वादी की उक्त निर्णय के विरूद्ध की गई अपील को खारिज किया गया एवं इंतकाल संख्या 186 वाके ग्राम खांगरी से प्रतिवादी के दत्तक पिता ओंकार को जमाबंदी संवत 2035–38 में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.80 द्वारा प्रतिवादी के दत्तक पिता ओंकार के नाम खातेदारी दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए थे जिसकी अपील वादी के पिता पन्ना द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। उक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि दावा वादी पूर्व में ही गुणावगुण के आधार पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर द्वारा डिक्री किया जा चुका है अतः दावा वादी काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.7.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई
जिला भरतपुर